

# डिगरी व मुकद्दमे इत्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) मुकाम सिवाना (बाडमेर) व  
इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. दौलसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी इटवाया तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.
2. मदन बाई पत्नी खेतसिंह जाति राजपूत निवासी इटवाया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अमरसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी इटवाया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा सिवाना
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

वाद हेतु बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 68/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री कपिल श्रीमाली मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर वादपत्र के सलंगन नजरी नक्शा परिशिष्ट अ प्रदर्श 3 व वाद पत्र के अनुरूप तहसीलदार सिवाना राजस्व रेकर्ड में डिक्री के माफिक हक हिस्से दर्ज करे। खर्चो पक्षकसन अपना-अपना वहन करे।



हस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.09.2021 को जारी की गई।

( कुसुमलता चौहान )  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) सिवाना

दिनांक :- 01.10.21

क्रमांक: वाचक/2021/7227/01/10/21

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना।

( कुसुमलता चौहान )  
सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) सिवाना